

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 22.04.25

क्रमांक रीडर/2025/ 1641

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 तुलसाराम पुत्र
तोगाराम जाति
मेघवाल निवासी
मातासर तहसील
ग्रामीण बाड़मेर
जिला बाड़मेर।


1 चेतनराम पुत्र लुम्भाराम 2 नत्थु देवी पत्नी लुम्भाराग 3 राउराम 4 संतोष कुमार पिसरान देरामाराम 5 देराजराम 6 चूनाराम पिसरान 7 धनाराम पुत्र रामाराम जाति मेघवाल निवासी मातासर 8 आसूराम 9 हडमानराम पिसरान पोकरराम 10 घमण्डाराम 11 ठाकराराम पिसरान मोटाराम 12 पेमी देवी पत्नी मोटाराम 13 नगाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी नवजी का पाना, मातासर 14 बबसिंह 15 देवीसिंह 16 पाबूसिंह पिसरान आसकरणसिंह 17 सूरसिंह 18 ईश्वरसिंह 19 उगमसिंह पिसरान पदमसिंह जाति राजपूत निवासी मातासर 20 घमण्डाराम पुत्र मालाराम 21 चुतराराम 22 मूलाराम पिसरान गोरखाराम जाति जाट 23 थानाराम 24 कानाराम 25 भलाराम पिसरान खेमाराम 26 डुंगाराम 27 नेताराम 28 मोहनराम पिसरान मूलाराम 29 रेखाराम पुत्र कोजाराम 30 गीता देवी पत्नि छगनलाल 31 बलवन्तराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 490/2023

दिनांक- 03/04/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 930/776 रकबा 2.8166 हेक्टर, खसरा संख्या 933/776 रकबा 1.8777 हेक्टर व खसरा संख्या 928/806 रकबा 0.2266 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 1642 - 1645

दिनांक- 22.04.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भुरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को म... उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी तुलसाराम पुत्र तोगाराम जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण चेतनराम पुत्र लुम्भाराम वगैरह जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर